समाहरणालय लखीसराय।

(जिला परिवहन विभाग)

आदेश

परिवहन विभाग, बिहार पटना के स0स0–03/प्र0 बजट आवंटन (3055)–01/2021–97 विभागीय स्वीकृत्यादेश–306/दिनांक–12.08.2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष–2021–22 में "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के अन्तर्गत परिवहन विभाग, बिहार पटना द्वारा संचालित मुख्य मंत्री ग्राम परिवहन योजना हेतु इस जिले को कुल–40,000,00 (चालीस लाख) रु0 का स्वीकृत्यादेश एवं आवंटन प्राप्त है।

जिसे अधोलिखित पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ 3, 4 एवं 5 मे अंकित राशि को उप–आवंटित किया जाता है।

कम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–199–अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता उप शीर्ष –0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055001990 101 विषय शीर्ष–010133301 सब्सिडी	मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष –0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055007 890101 विषय शीर्ष–01013301 सब्सिडी	मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उप शीर्ष –0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–305500796 0101 विषय शीर्ष–01013301 सब्सिडी	कुल योग
1	2	3	4	5	6
01	लखीसराय	4,00,000	2,00,000	–	6,00,000
02	सूर्यगढा	9,00,000	12,00,000	–	21,00,000
03	बड़हिया	3,00,000	2,00,000	–	5,00,000
04	हलसी	1,00,000	1,00,000	–	2,00,000
05	चानन	1,00,000	–	–	1,00,000
06	रामगढ चौक	1,00,000	1,00,000	–	2,00,000
07	पिपरिया	1,00,000	2,00,000	–	3,00,000
कुल योग		**20,00,000**	**20,00,000**	**–**	**40,00,000**

आवंटित राशि की निकासी स्वीकृत्यादेश संख्या–306, दिनांक–12.08.2021 में आदेश के आलोक में किया जाय।

उपावंटित राशि की निकासी में वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत धारा में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रुप से नियंत्रण रखा जा सके।

आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जॉच पड़ताल के बाद ही किया जाए। यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन अधिकारी की होगी।

आवंटित राशि की निकासी कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड विपत्र मॉग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें ताकि महालेखाकार के लेखा संधारण समूचित ढंग से हो सके।

Scanned with CamScanner

लाभुको को आवंटित राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विभागीय गजट संख्या–823, दिनांक–05.09.2018 के आलोक में पूरी छान–बीन एवं आवश्यक जॉच के उपरांत किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी छदमपूर्ण या अनियमित निकासी नहीं हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित नियंधन पुस्त बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जाऐंगें। यदि वाहन किसी वित्त पोषण संस्था से लेकर लिया गया हो तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र लिया जाय कि अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के ऋण भुगतान हेतु में किया जायेगा।

आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार सहित–2011 के नियमों के आलोक में की जायेगी।

किसी भी परिस्थति में आवंटन दिये जाने का अर्थ स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी अन्यथा किये गऐ भुगतान की सारी जबावदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

आवंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नम्बर, तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा निकसी की गयी राशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से लाभुक के खातों में अंतरित की जायेगी।

ह०/

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक–480**/परि०, लखी०, दिनांक–**18.8.2021

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखीसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय समाहरणालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस आवंटन आदेश को लखीसराय जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को उनके सं०सं० 03/प्र0–बजट आवंटन (3055) –01/2021–97 स्वीकृत्यादेश सं0–306/दिनांक–12.08.2021 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/8/21

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

Scanned with CamScanner